"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2013—पौष 6, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्रमांक 1114/817/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25-11-2013 से 07-12-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-11-2013 एवं 08-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो, आगामी आदेश तक उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्रमांक 1116/747/अव./2013/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 05-11-2013 से 08-11-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 03, 04, 09, 10-11-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लेवे आगामी आदेश तक अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्रमांक 1118/829/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 19-12-2013 से 10-01-2014 तक 23 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18-12-2013 एवं 11, 12-01-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती खेस्स आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1122/3276/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन वि[illegible] को दिनांक 24-10-2013 से 14-11-2013 तक 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16, 17-11-2013 [illegible]सकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अव[illegible] पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1124/748/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 26-10-2013 से 08-11-2013 तक 14 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10-11-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1130/867/अव./2013/1-8/स्था.—श्री तपेश चन्द्र गुप्ता, उप-सचिव, पर्यटन विभाग को दिनांक 04-12-2013 से 12-12-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता आगामी आदेश तक उप-सचिव, पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1132/842/अव./2013/1-8/स्था.—श्री ऋषभ पाराशर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 09-12-2013 से 13-12-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 14, 15-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाराशर आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पाराशर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1134/859/अव./2013/1-8/स्था.—श्री आलोक कुमार राय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 04-12-2013 से 07-12-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राय आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1136/864/अव./2013/1-8/स्था.—श्री ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव, गृह (जेल) विभाग को दिनांक 13-12-2013 से 17-12-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिद्दिकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह (जेल) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1138/822/अव./2013/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 18-11-2013 से 23-11-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17, 24-11-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 01-46/दो-गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. संजीव शुक्ला, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव को दिनांक 23-12-2013 से 31-12-2013 तक (कुल 09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-12-2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. डॉ. शुक्ला को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. संजीव शुक्ला, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

4. डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव का प्रभार श्री शशिमोहन सिंह (रापुसे.) अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ-1-13/2008/स्था./चार.—समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-12-2009 द्वारा पेंशन कल्याण मण्डल का पुनर्गठन दो वर्ष के लिए किया गया था तथा अधिसूचना दिनांक 21-05-2012 द्वारा पेंशनर कल्याण मण्डल एवं मण्डल के मनोनीत अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 02-12-2011 से दो वर्ष की वृद्धि की गई थी. इसी अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा पेंशनर कल्याण मण्डल एवं मण्डल के मनोनीत अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 31-03-2014 तक वृद्धि करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ-1-24/2013/स्था./चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के स्वीकृत 270 के संवर्ग को बढ़ाकर 450 करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. संवर्ग में वृद्धि के फलस्वरूप पदों का श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार होगा :—

स. क्र.	राज्य वित्त सेवा संवर्ग में स्वीकृत वेतनमान	राज्य वित्त सेवा भर्ती नियम, 2013 में प्रावधान अनुसार श्रेणीवार विभाजन का प्रतिशत/पदों की संख्या
1.	अधिसमय वेतनमान 37400—67000+ग्रेड पे 8900	02 प्रतिशत — 09
2.	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37400—67000+ ग्रेड पे 8700.	05 प्रतिशत — 23
3.	प्रवर श्रेणी वेतनमान 15600—39100+ग्रेड पे 7600	15 प्रतिशत — 67
4.	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600—39100+ग्रेड पे 6600	25 प्रतिशत — 113
5.	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 15600—39100+ग्रेड पे 5400	53 प्रतिशत — 238
	कुल	450

3. उपरोक्तानुसार संवर्ग स्वीकृत होने पर संवर्ग का विभाजन निम्नानुसार होगा :—

(1)	कर्त्तव्य पर	
	(अ) विभाग के लिये—	74
	(ब) अन्य विभागों के लिये —	338
(2)	प्रतिनियुक्ति रक्षित—	14
(3)	अवकाश रक्षित—	12
(4)	प्रशिक्षण रक्षित—	12
	योग—	**450**

4. भर्ती नियम में संशोधन पृथक से किया जावेगा.

5. उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्र. 380/एफ 2013-04-00057/ब-1/2013, दिनांक 1-10-2013 से सहमति प्राप्त की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक 4144/एफ-11/12/2012/रबी/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग का पत्र क्रमांक/13011/01/2008-Credit-II दिनांक 07 फरवरी, 2013 द्वारा जारी प्रशासकीय निर्देश के अनुक्रम में राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के 13 जिलों में गेहूं एवं चना फसलों (जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है) के लिए पायलेट आधार पर रबी 2013-14 मौसम हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू करती है. इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड एवं एच.डी.एफ.सी. ईरगो के माध्यम से किया जायेगा. योजना क्रियान्वयन में प्रीमियम अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रावधानित राशि से संचालक कृषि द्वारा किया जायेगा.

2. पायलेट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) रबी 2013-14 में निम्नलिखित जिलों में लागू होगा—

जिला (1)	तहसील (2)	फसल बीमा कंपनी का नाम (3)	फसल का नाम (4)
रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर.	समस्त तहसील	कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC)	चना एवं गेहूं
दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम	समस्त तहसील	आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस.	चना एवं गेहूं.

(1)	(2)	(3)	(4)
बिलासपुर, मुंगेली	समस्त तहसील	एच.डी.एफ.सी. ईरगो जनरल इंश्योरेंस.	चना एवं गेहूं

3. यह पायलेट योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक होगा.

4. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल बीमा कंपनियों से प्राप्त उत्पादों का अध्ययन मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त औसत (सामान्य) तापक्रम एवं वर्षा के आंकड़ों से किया जाकर फसलवार तथा जिलेवार Trigger Temperature, Exit Temperature Payout, Maximum Payout, Trigger Rainfall, Exit Rainfall Payout तथा Maximum Payout का विवरण परिशिष्ट-1 में फसलवार, जिलेवार दर्शित है.

5. अधिसूचना में शामिल फसल बीमा कंपनियों को परिशिष्ट-1 में उल्लेखित Trigger को मान्य करने की बाध्यता होगी तथा दावे की गणना इसी आधार पर की जायेगी.

6. ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा कराने की अवधि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत निर्धारित नियमानुसार किया जायेगा.

7. जिलेवार अधिकतम तापक्रम एवं वर्षा की तिथिवार पाक्षिक जानकारी प्रत्येक माह के 5 तारीख तक संचालनालय कृषि को प्रस्तुत करना होगा.

8. तापक्रम एवं वर्षा के आंकड़े जिले के मौसम विज्ञान केन्द्र (IMD) के संस्था प्रमुख/नेशनल कोलायटर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड (NCMSL) के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा.

9. योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावेगा.

10. किसान बीमा प्रस्ताव पत्र के प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा करेगा.

11. इस योजना का संचालन चयनित अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र के क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा. क्षेत्र दृष्टिकोण से आशय संदर्भित इकाई क्षेत्र से है. संदर्भित इकाई क्षेत्र के फसलों की जोखिम स्वीकार करने और मुआवजा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है. इसी प्रकार अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को उनकी बीमा शर्तों और मुआवजा आंकलन के संबंध में बराबर माना जायेगा.

12. प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित एजेंसी उत्तरदायी होगी. सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा.

13. **दावा भुगतान प्रक्रिया :—**

(क) दावा राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकड़े व सरकार द्वारा कोष (प्रीमियम अनुदान) उपलब्ध कराने पर शीर्ष बैंक शाखा को बीमा अवधि समाप्त होने पर 45 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा.

(ख) मुआवजा प्रक्रिया स्वचालित होगी, संबंधित एजेंसी द्वारा मुआवजा आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित कृषकों के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुए मुआवजा राशि स्वयं ही जमा करा दी जाएगी.

14. अधिसूचित जिलों में फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन यथावत किया जायेगा, किन्तु इन प्रयोगों के परिणाम का कोई असर मुआवजे की गणना अथवा भुगतान पर नहीं पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2013-14

District- Durg, Bemetara, Balod

Crop - Gram

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	ICICI Lombard General Insurance						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	26.5	29	30.5	32	35	37	39
Exit Temp. (^{0}C)	31.5	34	35.5	37	40	42	44
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100
Max. Payout Rs. 15000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	15-25	200	2000	15-25	200	2000	10-20	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	20000	1600	400	600	600

Crop - Wheat

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	ICICI Lombard General Insurance						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	26.5	29	30.5	32	35	37	39
Exit Temp. (^{0}C)	31.5	34	35.5	37	40	42	44
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420
Max. Payout Rs. 10000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	15-25	200	2000	15-25	200	2000	10-20	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	15000	1200	225	487.50	487.50

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2013-14

District- Kabirdham

Crop - Gram

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	ICICI Lombard General Insurance						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (⁰C)	25	27	28	31	33.5	37	39
Exit Temp. (⁰C)	30	32	33	36	38.5	42	44
Difference Temp. (⁰C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ⁰C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100
Max. Payout Rs. 15000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	15-25	200	2000	15-25	200	2000	15-25	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	20000	1600	400	600	600

Crop - Wheat

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	ICICI Lombard General Insurance						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (⁰C)	25	27	28	31	33.5	37	39
Exit Temp. (⁰C)	30	32	33	36	38.5	42	44
Difference Temp. (⁰C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ⁰C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420
Max. Payout Rs. 10000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	15-25	200	2000	15-25	200	2000	15-25	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	15000	1200	225	487.50	487.50

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2013-14

District- Rajnandgaon

Crop - Gram

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	Agriculture Insurance Company (AIC)						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	27	28	30	32	34	37	39
Exit Temp. (^{0}C)	32	33	35	37	39	42	44
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100
Max. Payout Rs. 15000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AIC	15-25	200	2000	15-25	200	2000	15-25	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	20000	1600	400	600	600

Crop - Wheat

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	Agriculture Insurance Company (AIC)						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	27	28	30	32	34	37	39
Exit Temp. (^{0}C)	32	33	35	37	39	42	44
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420
Max. Payout Rs. 10[illegible] per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AIC	15-25	200	2000	15-25	200	2000	15-25	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	15000	1200	225	487.50	487.50

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2013-14

District- Bilaspur, Mungeli

Crop - Gram

Cover : Maxim[illegible] [illegible]emperature Cover

Cover Period	HDFC Ergo General Insurance Company						
	[illegible]1. to [illegible]Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	[illegible]5.5	26	27.5	29.5	32	35.5	38
Exit Temp. (^{0}C)	30.5	31	32.5	34.5	37	40.5	43
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100
Max. Payout Rs. 15000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
HDFC	15-25	200	2000	10-20	200	2000	9-19	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	20000	1600	400	600	600

Crop - Wheat

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	HDFC Ergo General Insurance Company						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	25.5	26	27.5	29.5	32	35.5	38
Exit Temp. (^{0}C)	30.5	31	32.5	34.5	37	40.5	43
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420
Max. Payout Rs. 10000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
HDFC	15-25	200	2000	10-20	200	2000	9-19	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	15000	1200	225	487.50	487.50

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2013-14

District- Raipur, Balodabazar, Gariyaband

Crop - Gram

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	Agriculture Insurance Company (AIC)						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	27.5	28.5	30.5	32.5	34.5	37.5	39.5
Exit Temp. (^{0}C)	32.5	33.5	35.5	37.5	39.5	42.5	44.5
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100
Max. Payout Rs. 15000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AIC	15-25	200	2000	15-25	200	2000	15-25	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs..	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	20000	1600	400	600	600

Crop - Wheat

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	Agriculture Insurance Company (AIC)						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	27.5	28.5	30.5	32.5	34.5	37.5	39.5
Exit Temp. (^{0}C)	32.5	33.5	35.5	37.5	39.5	42.5	44.5
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420
Max. Payout Rs. 10000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AIC	15-25	200	2000	15-25	200	2000	15-25	100	1000
Max. Payout Rs. 5000 per ha.									

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	15000	1200	225	487.50	487.50

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2013-14

District- Sarguja, Surajpur, Balrampur

Crop - Gram

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	Agriculture Insurance Company (AIC)						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (^{0}C)	23	24	26.5	29	31	35	37
Exit Temp. (^{0}C)	28	29	31.5	34	36	40	42
Difference Temp. (^{0}C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per ^{0}C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100
Max. Payout Rs. 15000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AIC	20-30	150	1500	20-30	150	1500	20-30	50	500
Max. Payout Rs. 3500 per ha.									

Frost Loss Cover :

Cover Period	AIC
	15 Dec.13 to 15 Feb. 14
Strike/Trigger Temp.	7.00
Exit Trigger Temp.	4.00
Payout Rs. per ^{0}C	500
Max. Payout Rs./ha.	1500.00
Max. Payout Rs. 1500 per ha.	

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	20000	1600	400	600	600

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2013-14

District- Sarguja, Surajpur, Balrampur

Crop - Wheat

Cover : Maximum Temperature Cover

Cover Period	Agriculture Insurance Company (AIC)						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	23	24	26.5	29	31	35	37
Exit Temp. (°C)	28	29	31.5	34	36	40	42
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per °C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420
Max. Payout Rs. 10000 per ha.							

Rainfall : Cumulative Rainfall for three consecutive days

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2014			1 Feb. 28 Feb. 2014			1 Mar. to 31 Mar. 2014		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
AIC	20-30	150	1500	20-30	150	1500	20-30	50	500
Max. Payout Rs. 3500 per ha.									

Cover Period	AIC
	15 Dec.13 to 15 Feb. 14
Strike/Trigger Temp.	7.00
Exit Trigger Temp.	4.00
Payout Rs. per °C	500
Max. Payout Rs./ha.	1500.00
Max. Payout Rs. 1500 per ha.	

Unit	Total Sum Insured Rs.	Total Premium Rs.	Farmer Share Rs.	Central Govt. Share Rs.	State Govt.Share Rs.
Hectare	15000	1200	225	487.50	487.50

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2013

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2014 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-89/गृह-सी (परीक्षा)/2013.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा मंगलवार दिनांक 28 जनवरी, 2014 से 03 फरवरी, 2014 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

मंगलवार, दिनांक 28-01-2014

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 28-01-2014

6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 29-01-2014

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 29-01-2014

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 30-01-2014

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

गुरुवार, दिनांक 30-01-2014

(1)	(2)	(3)
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	गुरुवार, दिनांक 30-01-2014	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	शुक्रवार, दिनांक 31-01-2014	
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 31-01-2014

(1)	(2)	(3)
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 31-01-2014	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शनिवार, दिनांक 01-02-2014	
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शनिवार, दिनांक 01-02-2014

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशुचिकित्... विभाग के अधिका... विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग ...य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं .. स..ायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	रविवार को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 03-02-2014	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 23-12-2013 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-14/2013/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्यांक 63) की धारा 8 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को उपांतरित किये बिना राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहायता करने हेतु, उन्हें अपनी-अपनी प्रशासनिक अधिकारिता में उक्त सारणी के कालम (5) में विनिर्दिष्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम पदाभिधान	नियुक्ति का प्रकार	कार्य सीमा	मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1. श्री रज्जू कुमार भोई, सहायक संचालक 2. श्री विजय कुमार सोनी, सहायक संचालक 3. श्री अशुतोष पाण्डेय, सहायक संचालक 4. श्री मनीष कुमार कुंजाम, सहायक संचालक.	सहायक मुख्य कारखाना निरीक्षक	सम्पूर्ण राज्य के लिए	छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 7, 9, 10 तथा 12 के अधीन समस्त कारखानों की अनुज्ञप्ति, का क्रमश: नवीनीकरण, संशोधन या हस्तान्तरण करना, जिसमें वे स्थान भी सम्मिलित है जिन्हें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत कारखाना घोषित किया गया है. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 3ए एवं नियम 6 के अन्तर्गत ऐसे गैर खतरनाक कारखाने जिनमें 20 से अधिक नियोजन न हो के संबंध में अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण करने की शक्तियां.

No. F 10-14/2013/16.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2-a) of section 8 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948) and without superseding of all previous notifications issued in the respect, the State Govt. hereby appoint the officers as specified in column (2) of the table below as Dy. Chief Inspector of Factories to assist the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of Chief Inspector of Factories as specified in

column (5) of the said table in their repective administrative jurisdiction, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Designation of officers (2)	Nature of Appointment (3)	Area of Jurisdiction (4)	Power of Chief Inspector of Factories (5)
1.	1. Shri Rajju Kumar Bhoi, Asst. Director 2. Shri Vijay Kumar Soni, Asst. Director. 3. Shri Aashutosh Pandey, Asst. Director. 4. Shri Manish Kumar Kunjam, Asst. Director.	Assistant Chief Inspector of Factories	Whole of Chhattisgarh State	Rule 7, 9, 10 & 12 of Chhattisgarh Factories rule 1962 for renewal, amendment and transfer of license of all factories includes those establishment which are declared factories under section 85 of Factories Act, 1948. In addition to above mentioned powers, powers for approval, licensing and registration of all non hazardous factories employing upto 20 workers, as per provisions of rule 3A and rules 6 of Chhattisgarh factories rules 1962.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-7/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 28-5-2013 द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (वर्ग मीटर में) (4)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	छतौना प.ह.नं. 74/13 लेयर-I	105 एवं 109	3.91 हेक्टेयर	वाणिज्यिक (थोक)	पब्लिक एवं सेमीपब्लिक

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण महानदी एजुकेशन सोसायटी को आवंटन के प्रयोजन के लिए.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नया रायपुर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 28 नवम्बर 2013

क्रमांक/413/भू-अर्जन/वाचक/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	मल्दा प.ह.नं. 15	7.094	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग क्र.-02, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 28 नवम्बर 2013

क्रमांक/414/भू-अर्जन/वाचक/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	थरहीडीह प.ह.नं. 15	8.048	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग क्र.-2, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 28 नवम्बर 2013

क्रमांक/415/भू-अर्जन/वाचक/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	मड़कड़ा प.ह.नं. 15	1.355	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग क्र.-2, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 28 नवम्बर 2013

क्रमांक/416/भू-अर्जन/वाचक/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	पिकरी प.ह.नं. 15	4.874	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग क्र.-02, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 28 नवम्बर 2013

क्रमांक/417/भू-अर्जन/वाचक/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	गिधौरी प.ह.नं. 25	14.126	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग क्र.-02, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा.	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	बटईकेला	2.353	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/7995/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	गोड़लवाही प.ह.नं. 42	9.699	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/7997/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	परेवाडीह प.ह.नं. 39	22.352	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/7998/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बड़गांव प.ह.नं. 39	7.669	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/7999/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	धोबनी प.ह.नं. 41	3.635	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.



राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8000/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	मासूलकसा प.ह.नं. 42	6.297	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	तौसीर प.ह.नं. 29	0.461	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तौसीर लेन्ध्रा मार्ग पर निर्माणाधीन किंकारी नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-बटईकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.353 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1606/2	0.020
1609	0.049
1611/1	0.073
1643/1	0.073
1614/2	0.016
1655/2	0.314
1666	0.020
1683/1	0.121
1711	0.093
1607	0.024
1610/2	0.040
1612	0.040
1342/1	0.097
1653	0.089
1664	0.089
1667	0.032
1683/2	0.024
1943	0.283
1605	0.008
1685	0.242
1613/1	0.161
1613/2	0.178
1652/1	0.016
1665	0.065
1682	0.146
1710	0.040
योग	2.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./12/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अड़सेना, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.147 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.057
7	0.458
4-5	0.206

	(1)	(2)
	6	0.397
	48/1	0.029
योग	6	1.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सारागांव व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./13/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सारागांव, प.ह.नं. 83
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	151	0.194
	644	0.004
योग	2	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सारागांव व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8001/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-नागरकोहरा, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.695 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
111/3	0.061
375/1	0.008
375/2	0.020
376/1	0.081
376/2	0.028
376/3	0.217
429/7	0.049
391/2	0.173
392/7	0.065
392/2	0.041
392/3	0.032
393/3	0.109
393/2	0.032
393/4	0.041
393/5	0.041
393/6	0.036
418/1	0.053
418/3	0.008
419/2	0.041
419/3	0.032
420/2	0.081
420/8	0.045

(1)	(2)
420/10	.041
420/5	0.032
420/11	0.045
420/7	0.081
428/1	0.141
391/4	0.061
योग 28	1.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के नागरकोहरा माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8002/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-राजनांदगांव
 (ख) तहसील-छुरिया
 (ग) नगर/ग्राम-रंगीटोला, प.ह.नं. 01
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.071 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33/4	0.024
33/3	0.008
33/6	0.045
32/1	0.045
32/2	0.004
44/2	0.105
42	0.152
40	0.049
60/4	0.032
60/3	0.069
60/2	0.045
59/2	0.008
62/4	0.045
62/3	0.061
62/3	0.028
63/3	0.093
67	0.028
69	0.137
65/2	0.040
157/3	0.024
65/3	0.117
157/4	0.045
150	0.185
158	0.016
152/8	0.020
155/2	0.069
62/5	0.004
33/2	0.101
60/5	0.121
152/3	0.069
41/1	0.121
41/5	0.020
66/2	0.028
152/5	0.093
152/6	0.020
योग 35	2.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के रंगीटोला माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8003/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-झितराटोला, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.944 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4/1	0.121
	2/4	0.061
	4/3	0.012
	3/7	0.081
	3/2	0.113
	3/5	0.004
	7/3	0.117
	8/2	0.069
	53/1	0.157
	53/2	0.153
	53/3	0.041
	69/2	0.206
	69/3	0.109
	66/1	0.041
	66/3	0.089
	66/2	0.093
	66/5	0.089
	65/4	0.004
	64/1	0.061
	64/3	0.024
	61/8	0.016
	61/10	0.049
	61/1	0.105
	63/7	0.004
	62	0.121
	3/1	0.004
योग	26	1.944

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के झितराटोला माइनर क्र. 01 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8004/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिसाहूटोला, प.ह.नं. 02/38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.185 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	31	0.012
	30	0.125
	41/2	0.028
	41/5	0.020
योग	04	0.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के बिसाहूटोला माइनर क्रमांक 01 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013.

क्रमांक/8005/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-झितराटोला, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.526 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
24/5	0.085
81/1	0.049
47/2	0.037
47/4	0.061
47/10	0.032
46/1	0.081
45/4	0.008
47/5	0.157
48/8	0.065
48/7	0.032
48/6	0.028
48/9	0.041
78/5	0.004
78/3	0.049
78/4	0.101
78/1	0.077
81/2	0.041
81/3	0.077
96/5	0.008
96/4	0.097
96/3	0.101
96/1	0.085
82/1	0.089
95/2	0.065
94/2	0.065
94/5	0.073
94/1	0.125
92/3	0.281
92/6	0.137
92/2	0.157
145/2	0.145
143	0.073
योग 32	2.526

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के झितराटोला माइनर क्र. 2 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8006/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिसाहूटोला, प.ह.नं. 02/38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.489 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
31	0.016
32/1	0.121
34/1	0.032
34/2	0.057
18/3	0.020
18/4	0.069
17/2	0.093
17/5	0.053
17/6	0.028
योग 09	0.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के बिसाहूटोला माइनर क्रमांक 2 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

क्रमांक/7840/एस.सी.1/2013.—श्री सुनील यादव "पार्षद" वार्ड क्रमांक 03, गंजीपारा, नगर पालिका परिषद्, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव ने अपनी नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद पर विकासखण्ड साजा, जिला दुर्ग (छ.ग.) में होने के कारण अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, खैरागढ़ को दिनांक 08-08-2013 को पार्षद पद से त्यागपत्र सौंपा है. उनके द्वारा पार्षद पद से त्यागपत्र स्वीकृत करने की अनुशंसा कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किया गया है.

छ.ग., नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत त्यागपत्र एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव के प्रतिवेदन क्रमांक 1181 दिनांक 21-11-2013 के अनुक्रम में श्री सुनील यादव का त्यागपत्र छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 40 की उपधारा 2 (एक) के अंतर्गत एतद्द्वारा दिनांक 08-08-2013 से स्वीकृत किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्रमांक 6540/तीन-10-8/2000 (VI).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-3616/तीन-10-8/2000 (VI), दिनांक 09 मई, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 8556/XXI-B/13 दिनांक 07 सितम्बर, 2013 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 02-10-2013 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	3. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
		4. कोण्डागांव	1	2. नारायणपुर	1	2. नारायणपुर	1
				3. कोंडागांव	2	3. केशकाल	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. सिमगा	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
3.	बालौद	1. बालौद	2	1. बालौद	2	1. बालौद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. डौण्डीलोहारा	1
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	2	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा	2	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
7.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
8.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
				2. पाटन	1	2. दल्लीराजहरा	1
				3. भिलाई-3	1		
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
10.	जशपुर	3. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		4. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
13.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
14.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
				2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
15.	रायगढ़	1. रायगढ़	5	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
16.	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1
						6. भटगांव	1
17.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
18.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. रामानुजगंज	1	2. रामानुजगंज	2	2. वाड्रफनगर	1
						3. सीतापुर	1
						4. बलरामपुर	1
						5. राजपुर	1
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
20.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 6540/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 3616/III-10-8/2000 (VI), dated 09-05-2013, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges,

Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. 8556/XXI-B/13 dated 07-09-2013 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 02-10-2013 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	3. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
		4. Kondagaon	1	2. Narayanpur	1	2. Narayanpur	1
				3. Kondagaon	2	3. Keshkal	1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Simga	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
3.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dondilohara	1
4.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1
5.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	2	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
				4. Bilha	1	4. Kota	1
						5. Lormi	1
						6. Marwahi	1
						7. Takhatpur	1
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	2	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
7.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
8.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	3	1. Durg	12
				2. Patan	1	2. Dallirajhara	1
				3. Bhilai-3	1		
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
10.	Jashpur	3. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		4. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
12.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
13.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
14.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
				2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
15.	Raigarh	1. Raigarh	5	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1
16.	Raipur	1. Raipur	10	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Gariyaband	1	2. Gariyaband	2	2. Gariyaband	1
						3. Rajim	1
						6. Tilda	1
						7. Devbhog	1
						8. Bhatgaon	1
17.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
				3. Dongargarh	1	3. Khairagarh	1
				4. Khairagarh	1	4. Chhuikhadan	1
18.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	6	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Ramanujganj	1	2. Ramanujganj	2	2. Wadrafnagar	1
						3. Sitapur	1
						4. Balrampur	1
						5. Rajpur	1
19.	Surajpur	1. Surajpur	3	1. Surajpur	2	1. Surajpur	2
		2. Pratappur	1	2. Pratappur	1		
20.	Uttar Bastar (Kanker)	3. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
		4. Bhanupratappur	1	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1

Note :—2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

By order of the High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 26th September 2013

No. 1450/HCLSC/2013.—In exercise of the powers conferred under sub-section 2 of Section 8-A of the Legal Services Authority Act, 1987, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice T.P. Sharma, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, as Chairman of the Chhattisgarh High Court Legal Services Committee, Bilaspur, w.e.f. 26th September, 2013.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
RAJESH SHRIVASTAVA, I/c Secretary.